राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(राज0 आवा0 मण्डल अधिनियम 1970 के तहत गठित राज्य सरकार का उपक्रम)
(A State Government Enterprise constituted under RHB Act 1970)

क्रमांक : रा.आ.मं./मु.अभि.मु./2020-21/ ...649
दिनांक : ...10.../...3.../ 2021

परिपत्र

विषयः बिड प्रपत्रों में नॉन बीएसआर मदों हेतु शिड्यूल-एच बनाकर संवेदक द्वारा दरें अंकित किये जाने बाबत।

प्रायः यह अनुभव किया गया है कि राजस्थान आवासन मण्डल में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु तकमीने तैयार करते समय प्रचलित बीएसआर में समाहित मदों के अतिरिक्त कार्य की आवश्यकतानुसार कतिपय नॉन बीएसआर मदों का समावेश किया जाता है। लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों में विहित प्रावधानों के अनुरूप, इन मदों एवं उनकी दरों की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता में निहित है। नॉन बीएसआर मदों एवं उनकी दरों की स्वीकृति निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति जारी करने एवं अनुमानित लागत के आँकलन हेतु जारी की जाती है। सामान्य प्रक्रिया के तहत बिड प्रपत्र की "शिड्यूल-जी" में ही बीएसआर मदों एवं नॉन बीएसआर मदों एवं उनकी अनुमोदित दरों का अंकन होता है, जिस पर संवेदक द्वारा प्रतिशत के रूप में इकजाई दर अंकित की जाती है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः सम्बन्धित अधिकारियों एवं समस्त उपापन संस्थाओं को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सभी प्रकार के बिड प्रपत्रों के "शिड्यूल-जी" में बीएसआर मदों एवं "शिड्यूल-एच" में नॉन बीएसआर मदों का समावेश किया जावे, साथ ही "शिड्यूल-एच" में दरों का कॉलम रिक्त रखा जावे, ताकि संवेदक द्वारा "शिड्यूल-जी" की मदों के विरूद्ध प्रतिशत के रूप में एवं "शिड्यूल-एच" हेतु प्रत्येक मद के विरूद्ध पृथक-पृथक दरें प्रस्तुत की जा सके। इस प्रक्रिया से प्रतिस्पर्धात्मक दरों का प्राप्त होना अपेक्षित है।

यह परिपत्र अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया है एवं तुरन्त प्रभाव से लागू है।

(के.सी. मीना)
मुख्य अभियन्ता (मु0)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1 निजी सचिव-अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता प्रथम / द्वितीय, रा0आ0म0, जयपुर।
3 सचिव / वित्तीय सलाहकार, रा0आ0म0, जयपुर
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता - प्रथम / द्वितीय / तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर / जोधपुर।
6. समस्त उप आवासन आयुक्त गुण.नि. / परियोजना शाखा / वृत्त ....
7. समस्त आवासीय अभियंता, ई-प्रोक / रेरा / विद्युत / पीएचई-I / II / खण्ड ....
8. संयुक्त निदेशक (एस.ए.) - विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. सम्पदा प्रबन्धक (अभिलेख) / सहायक लेखाधिकारी (भण्डार), रा0आ0म0, जयपुर।
10. कार्यालय / रक्षित पत्रावली।

100321
उप आवासन आयुक्त (मु0)

☆ मण्डल का यह सपना, सुन्दर घर हो सबका अपना ☆

Telephone: 91-141-2740359; e-mail ID: cehq.rhb@rajasthan.gov.in; Website: urban.rajasthan.gov.in/rhb
GSTIN: 08AAALR0046F1ZA; PAN: AAALR0046F; TAN:
(Rear Block, Floor 02, "Awas Bhawan", Jan Path, Jyoti Nagar, Jaipur - 302005; EPABX: 91-141-2740812, 2740113, 2740614)